2

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साँचे से होगा परिवर्तनकारी सुधार और दूरगामी प्रभाव

कृष्ण चंद्र चौधरी*

शिक्षा से पूर्ण मानव क्षमता का मूलभूत विकास होता है। भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास कार्यसूची के अनुसार विश्व में 2030 तक 'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने' का लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालय शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में कई अहम बदलाव हुए हैं। पिछले तीन दशकों में देश, समाज की अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 21वीं शताब्दी की समय की माँग तथा देश की ज़रूरतों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता थी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुँच, समतामूलक, गुणवत्तापूर्ण, वहनीय शिक्षा व उत्तरदायित्व के साथ 5+3+3+4 की अवधारणा, भाषाई विविधता (त्रिभाषा फ़ॉर्मूले) को बढ़ावा और संरक्षण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति 2020 है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सकारात्मक सोच की प्रक्रिया व नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही सर्वांगीण विकास, बहु-विषयक एवं भविष्यवादी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर पहुँच के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग शामिल है। यह 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना है। क्योंकि विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एकसमान पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए और ये 3 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थी के लिए होगी। अब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था 'क्या' सोचने पर आधारित थी, जबकि नई व्यवस्था में 'कैसे' सोचने पर ज़ोर दिया गया है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। यह लेख शिक्षा संबंधी एक अंतर्दृष्टि विकसित करने में सहायक है कि शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। भारत जैसे विविधता भरे देश में यह और भी ज़रूरी है कि रणनीतियों में भी पर्याप्त विविधता हों।

**सहायक प्रोफ़ेसर*, मनोविज्ञान विभाग, एस.बी. कॉलेज, (वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय) मौलाबाग, आरा, ज़िला-भोजपुर (बिहार) 802301

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की संस्कृति और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा नीति की ज़रूरत सदा से महसूस की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक शिक्षा, तर्क शक्ति, डिजिटल साक्षरता, भावनात्मक बुद्धि, सामयिक एवं मनोसमाजिक सोच और विकास पर ज़ोर दिया गया है। यह नीति इस निरंतरता के एक भाग के रूप के सृजन, संचरण, उपयोग और प्रसार की परिकल्पना करती है। इस घोषणा ने देश को नई दिशा तथा गति दी है। इसकी स्थापना अभी शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। हर कक्षा में जीवन कौशल के विकास पर ज़ोर होगा ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा से निकलेगा तो उसके पास पूरी निवेश सूची (पोर्टफ़ोलियो) होगी। विद्यालयों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और रोज़गारपरक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ध्येय 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा को अधिक समावेशी, समग्र, लचीला बनाना है। ऐसा करके भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज तथा ज्ञान आधारित वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। ऐसे प्रयासों से विद्यार्थी वैश्विक और ज़िम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है। इसमें डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच बनाया जाएगा। ई-पाठ्यक्रम (ई-कोर्सिस) शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित होंगे और आभासी प्रयोगशाला (वर्चुअल लैब) विकसित की जाएगी। आठ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया और बंगाली में भी ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ किए जाएँगे। वर्तमान में अधिकतर ऑनलाइन कोर्स अंग्रेज़ी और हिंदी में ही उपलब्ध हैं।

शिक्षा में विषयवस्तु को बढ़ाने की जगह ज़ोर इस बात पर होने की ज़रूरत है कि बच्चे समस्या समाधान, तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंर्तसंबंधों को देख पाएँ, कुछ नया सोच पाएँ और नई जानकारी का नई एवं बदलती परिस्थितियों के साथ अपने क्षेत्रों में उपयोग में ला पाएँ। अब ज़रूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थियों पर केंद्रित हो जो ज़रूरी संचार, जिज्ञासा, खोज, अनुभव, संवाद कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक स्वभाव के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता एवं समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली तथा रुचिपूर्ण हो।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेज़ी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने एवं शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए लाखों की संख्या में शिक्षकों की ज़रूरत होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएँ होंगी, लेकिन इनके महत्व को कम किया जाएगा। साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएँ होंगी, लेकिन विद्यार्थियों पर अब बोर्ड परीक्षाओं का दबाव कम हो जाएगा। विद्यार्थियों की रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए विषयों की अवधारणा और ज्ञान को महत्व

दिया गया है। पाठ्यक्रम को केवल मूल अवधारणाओं तक सीमित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को दो हिस्सों— वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। परीक्षा में मुख्य ज़ोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो और व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) मॉडल को तैयार करेंगे। इस नीति के तहत कक्षा तीन, पाँच एवं आठवीं में भी परीक्षाएँ होंगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ बदले स्वरूप में होंगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये अहम बदलाव 2022–23 वाले सत्र से लागू करने की मंशा है।

10+2 की जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की अवधारणा

अब विद्यालय के पहले पाँच साल में पूर्व प्राथमिक (प्री-प्राइमरी) विद्यालय के तीन साल तथा कक्षा एक और कक्षा दो सहित बुनियादी चरण शामिल होंगे। इन प्रथम पाँच सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले तीन साल का चरण कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मध्य चरण आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक। अब कक्षा 6 से बच्चे को रोज़गारपरक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) भी कराई जाएगी। चौथा चरण 4 साल का होगा, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक शामिल हैं। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। विज्ञान या गणित के साथ फैशन डिज़ाइनिंग जैसे विषयों को भी पढ़ने की भी आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुनने का विकल्प था। दूसरे शब्दों में कहें तो 5+3+3+4 में 5 का अर्थ तीन साल पूर्व प्राथमिक शिक्षा और कक्षा 1 व 2 उसके बाद के 3 का तात्पर्य है कक्षा 3, 4 और 5, उसके पश्चात के 3 का अर्थ है कक्षा 6, 7 और 8 और आखिर के 4 का मतलब है कक्षा 9, 10, 11 और 12।

5+3+3+4 की संरचना की रूपरेखा

बुनियादी (मूलभूत) चरण (5 वर्षीय)

3 से 8 साल की उम्र के लिए, बुनियादी चरण (फाउंडेशनल स्टेज) का सुझाव दिया गया है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) को मज़बूत आधार माना जा रहा है। इसमें बहु-स्तरीय खेल गतिविधि आधारित सीखने पर बल दिया जाएगा। 3 साल की शिक्षा, आँगनवाड़ी, पूर्व-विद्यालय या आमतौर पर प्ले स्कूल (छोटे बच्चों के लिए विद्यालय) व किंडर गार्डन कक्षाओं में होगी। इसके अलावा, कक्षा 1 और 2 का तात्पर्य 6 से 8 आयु वर्ग के छात्रों से है। 6 से 8 वर्ष के छात्रों को भी बुनियादी शिक्षा में शामिल किया है। इस प्रकार पूर्व प्राथमिक के 3 साल और कक्षा 1 और 2 के 2 साल, यह पाँच साल की शिक्षा के तहत आएगा। खेल-कूद आधारित और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम द्वारा भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रारंभिक चरण (3 वर्षीय)

इसमें 8 से 11 साल की उम्र के बच्चे (कक्षा 3 से 5) शामिल हैं। यह चरण खेल केंद्रित, खोज और गतिविधि पर आधारित और परस्पर संवाद सीखने के लिए होगा। इस चरण में बच्चे संज्ञानात्मक विकास,

भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास की ओर अग्रसर रहते हैं। कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा होगी। सभी छात्रों को तीन भाषाएँ सिखाई जाएँगी और यह राज्य तय करेंगे कि वे कौन सी भाषाएँ होंगी। इस दौरान बच्चे अक्षर बोध (ककहरा), अंक (संख्या-ज्ञान), रंग, आकृतियाँ सीखेंगे, पहेलियाँ हल करेंगे। नाटक, कठपुतली के खेल, संगीत व अन्य गतिविधियों से यह प्रक्रिया आनंददायी और रुचिकर होगी और इससे सीखने की नींव तैयार होगी। इससे शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित हो पाएगा।

मध्य चरण (3 वर्षीय)

कक्षा 6 से 8 तक का संदर्भ देते हुए, नई संरचना का उद्देश्य है कि विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुभवात्मक सीखने पर बल होगा। इसमें ध्यान महत्वपूर्ण शिक्षण उद्देश्यों पर होगा न कि रट्टा लगाने पर। संगीत, कला व खेल समान स्तर पर होंगे। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए विषयों के लचीलेपन और पसंद को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें शारीरिक शिक्षा, कला तथा शिल्प और व्यावसायिक कौशल के विषय शामिल हैं।

माध्यमिक चरण (4 वर्षीय)

इसमें कक्षा 9 से 12 या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर शामिल हैं। इस स्तर पर सुझाए गए परिवर्तनों में एक बहु-विषयक अध्ययन शामिल है जहाँ छात्र उपलब्ध संरचना से किसी भी विषय को चुन सकते हैं। इस चरण में ध्यान अधिक महत्वपूर्ण सोच और लचीलेपन पर होगा, जिससे बच्चा अपनी रुचि के अनुसार विषयों जैसे तकनीकी और कला को चुन सकता है। इसके साथ ही आलोचनात्मक सोच व अधिक समग्रता के साथ खोज, चर्चा और विश्लेषण आधारित शिक्षा पर ज़ोर दिया जाएगा।

प्रारंभिक शिक्षा

हर बच्चा अद्वितीय है और प्रत्येक बच्चे की अभिरुचि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की अभिरुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बच्चों के लिए विद्यालय जाना मनोरंजन के साथ-साथ खेल आधारित होगा और बच्चों के अनुकूल होगा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम तय होगा, जिसमें उन्हें खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आँगनवाड़ी के माध्यम से मुफ़्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को (6 से 9 आयु वर्ग के बच्चे) लिखना-पढ़ना आ जाए, इस पर खास ज़ोर दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल-कूद और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम द्वारा भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएँगे और वे पूरे देश में एक जैसे होंगे। 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए

© NCERT
not to be republished

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित किया जाएगा। एक विस्तृत और मज़बूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) मुहैया कराई जाएगी। इसकी सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए जाएँगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के सम्मिलित सहयोग से किया जाएगा। अत: विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एकसमान पहुँच सुनिश्चित हो सके यह प्रयास रहेगा। साथ ही इसमें 3–18 वर्ष आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाए जिससे उन्हें अधिकतम लाभ लिस सके। इस चरण तक ध्यान एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास पर रहेगा।

छठीं कक्षा से रोज़गारपरक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर ज़ोर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉ. कस्तूरीरंगन ने कहा है कि, अब छठीं कक्षा से ही बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास आधरित शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर ज़ोर दिया जाएगा। विद्यालय में ही बच्चे को व्यवसाय के लिए ज़रूरी व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी।

विद्यालय स्तर पर शिक्षण व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित होगा। प्रत्येक बच्चा कम-से-कम एक व्यवसाय से संबंधित कौशल को सीख पाएगा। कक्षा 6–8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यवसाय, जैसे— शिल्प, बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना बच्चे सीख पाएँगे। वर्ष 2025 तक, विद्यालय और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम-से-कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को रोज़गारपरक, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे कि बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ परस्पर चर्चा और कार्य करते हुए व्यावसायिक शिक्षा की बारीकियों को सीखने का अवसर मिलेगा। नीति में कक्षा 6–8 से 10वीं की पढ़ाई के दौरान 10 दिन का बस्ता रहित कालांश (बैगलेस पीरियड) के माध्यम से व्यवसाय से आधारित कौशल प्रदान किया जाएगा। इस स्तर पर सुझाए गए परिवर्तनों में एक बहु-विषयक अध्ययन शामिल है, जहाँ छात्र उपलब्ध संरचना से किसी भी विषय को चुन सकते हैं। यहाँ सर्वाधिक बल और लचीलेपन पर होगा, जिससे बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुन सकते हैं, जैसे— तकनीकी व कला। अब बच्चे कम उम्र में ही आत्मनिर्भर बन सकेंगे। शिक्षा नीति में विद्यार्थी अपना स्वयं मूल्यांकन, मित्र मंडली द्वारा मूल्यांकन, शिक्षक द्वारा मूल्यांकन एवं अपने ज्ञान के मूल्यांकन से उनकी समग्र योग्यता

सूची तैयार होगी जिसके आधार पर उन्हें आगे करियर में जाना होगा।

भाषाई विविधता को बढ़ावा एवं संरक्षण

वैज्ञानिक डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर त्रि-भाषा के फ़ार्मूले को अपनाने की बात की गई है। बच्चा जन्म से ही बाहरी दुनिया से मातृभाषा में संवाद करता है। इसी कारण मातृभाषा पर मस्तिष्क की सक्रियता अन्य किसी माध्यम से अधिक प्रभावशाली होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष ज़ोर दिया गया है। भाषा के स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रि-भाषा सूत्र (3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूले) की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा अथवा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। राज्य अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे और उन पर कोई भी दबाव नहीं होगा। विद्यालय और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। अत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाँचवीं कक्षा तक और जहाँ तक संभव हो सके आठवीं कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएँ और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत कक्षा 6 से 8 के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक गतिविधि में भाग लेना होगा।

त्रि-भाषाई सूत्र से बहुभाषावाद और भाषा की ताकत में वृद्धि

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हों। पहली से पाँचवी कक्षा तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा का प्रयोग शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। इससे बच्चों की नींव मज़बूत होगी और उनके आगे की पढ़ाई के लिए आधार भी मज़बूत होगा। जहाँ घर और विद्यालय की भाषा अलग-अलग है, वहाँ दो भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। विदेशी भाषाओं की भी पढ़ाई माध्यमिक स्तर से होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को विद्यार्थियों पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा।

यह बार-बार सिद्ध हो चुका है कि हर बच्चा सहज भाव से अपनी मातृभाषा भाषा में पढ़ाए जाने पर उसे तत्काल ग्रहण करता है। जो बच्चे अपनी मातृभाषा में शुरू से ही पढ़ाई करते हैं, उनके लिए शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएँ अधिक प्रबल रहती हैं। यानि बच्चे जिस भाषा को घर में अपने अभिभावकों, भाई-बहनों, मित्रों के साथ बोलते हैं, उसमें ही पढ़ने में अधिक सुविधा होती है।

कोई भी देश तब ही तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, जब उसके नौनिहाल अपनी जुबान में ही पढ़ाई शुरू करने का सौभाग्य पाते हैं। ऐसे में बच्चों को नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए जो वह अपने घर के सदस्यों से बोलना पसंद करता है। यदि ऐसा होता है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता।

जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने लिए खास जगह बनाने वाली अनेक हस्तियाँ मिल जाएँगी जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही ग्रहण की। इनमें रबीन्द्रनाथ टैगोर से लेकर प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. भीमराव अंबेडकर शामिल हैं। रबीन्द्रनाथ टैगोर की शुरूआती शिक्षा का प्रारंभ अपने कलकत्ता के घर में ही हुआ। उनके परिवार में बांग्ला भाषा ही बोली जाती थी। उन्होंने जिस विद्यालय में दाखिला लिया, वहाँ पर भी पढ़ाई का माध्यम बांग्ला ही था, यानी बंगाल की मातृभाषा में। देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद की आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में बिहार के सीवान ज़िले के अपने गाँव जीरादेई में ही हुई। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज़ से ली। डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्राथमिक शिक्षा सतारा, महाराष्ट्र के विद्यालय से हुई और पढ़ाई का माध्यम मराठी भाषा था। यद्धापि शास्त्रों में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शिशु को मानव बनाना है, दूसरा उसे उत्तम नागरिक तथा तीसरा परिवार को पालन पोषण करने योग्य और अंतिम सुख की प्राप्ति कराना है। बहरहाल, अब लगता है कि हालात बदलेगी।

प्रथम भाषा— यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।

द्वितीय भाषा— हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेज़ी होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी अथवा अंग्रेज़ी होगी।

तीसरी भाषा— हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेज़ी अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी।

प्रारूप समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुउद्देश्यीयता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान किया गया है। फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मज़बूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से मातृभाषा या स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया गया है।

पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन से जुड़े सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली के विकास पर बल दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व

पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) की व्यवस्था भी दी जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर विद्यालय परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएँगे। इसमें भविष्य में छमाही (सेमेस्टर) या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ़्टवेयर का प्रयोग होगा।

शिक्षण प्रणाली में सुधार

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास करेगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। नीति के अनुसार, पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में की जाएगी। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा और पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। कई स्त्रोतों से समय-समय पर कार्य-प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा।

प्रवेश और निकास के अनेक अवसर

विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी वर्ष में कोर्स को छोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा। एक साल के आधार पर सर्टिफ़िकेट मिलेगा तथा दो साल पढ़ने पर डिप्लोमा मिलेगा और कोर्स पूरा करने पर डिग्री मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था होगी और कहीं भी प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी के रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा। इसे सरकार की नीति में क्रेडिट जमा को हस्तांतरण कहा गया है। अब कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट अवश्य मिल जाएगा।

विद्यालय के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार

विद्यालय के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को तैयार करके उनका समग्र विकास किया जाए। आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएँगे। कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 21वीं सदी और गुणवत्ता से समझौता किए बिना रोज़गार का कौशल प्रदान करने वाली शिक्षा (रोज़गारपरक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित) करने की परिकल्पना की गई है। ये सभी 21वीं सदी के समग्र दृष्टिकोण एवं कौशल का हिस्सा है क्योंकि शिक्षा नौजवानों में इस तरह की चीज़ों को समाहित करती है, जिनसे 21वीं सदी के लिए ज़रूरी संचार, जिज्ञासा, खोज, तार्किक, रचनात्मकता, समस्या समाधान आदि और इस तरह की चीज़ों के संदर्भ में योग्यता प्राप्त कर सकें। 21वीं शताब्दी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को एकीकृत करने के लिए पाठ्यक्रम को इसके अनुरूप बनाया जाएगा। यह शिक्षा नीति से 5+3+3+4 की संरचना की रूपरेखा, छठीं कक्षा से रोज़गारपरक शिक्षा, त्रि-भाषाई सूत्र, विद्यालय के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार आदि में दूरगामी प्रभाव होगा। इससे बच्चों, किशोरों एवं युवा छात्र-छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। अतः यह नीति, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की नई दिशा व दशा बनेगी।

संदर्भ

चौधरी, के.सी. 2018. *प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, विकास और शिक्षा*. बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना.

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1642061

https://www.mhrd.gov.in/nep-new

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/English1.pdf